

## निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि टौन्स वन प्रभाग, पुरोला में वर्ष 2023 लीसा फसल के लीसा भरे टिनो का ढुलान निम्न लीसा डिपुओं से लीसा भण्डार डिपों ऋषिकेश तक किया जाना है जिसके लिए सीलबन्द निविदायें महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से उप वन संरक्षक टौन्स वन प्रभाग, पुरोला उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 18.11.2023 को 2:00 बजे अपराह्न तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा उसी दिन सांय 3:00 बजे खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रहना चाहे तो उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.10.2023 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 16.11.2023 के अपराह्न 01:00 बजे तक इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्तें वन विभाग की वेबसाईट [www.forest.uk.gov.in](http://www.forest.uk.gov.in) तथा टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

डिपो का नाम	लीसा की अनुमानित मात्रा (कु० मे)	अनुमानित दूरी रेल हेड डिपों ऋषिकेश तक
हुडोली	801	195
पुरोला	1599	205
सुकराला	924	210
मोरी	2385	235
सान्द्रा	2820	237
खूनीगाड	780	240
पन्द्राणू	270	270
योग :-	9579	

### शर्तें निम्न प्रकार है :-

- निविदा के बाहर लिफाफे में "निविदा बावत लीसा ढुलान" लिखना होगा।
- निविदा के साथ प्रत्येक डिपो के लिए 5000/- (पाँच हजार) बन्धक धनराशि जो अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हो, एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा एक ही व्यक्ति के नाम होनी चाहिए यदि कोई कम्पनी टेण्डर देवे तो कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की एक प्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न किये टेण्डरो पर बिचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा प्रत्येक डिपो के लिए अलग-अलग एवं प्रति कु० की दर से देनी होगी। भुगतान हेतु लीसा डिपो ऋषिकेश की तोल को अन्तिम माना जायेगा, एवं खन्नों पर लीसा डिपो से अंकित तोल एवं लीसा भण्डार अधिकारी के प्राप्त के हस्ताक्षर एवं मोहर होनी आवश्यक होगी, उसके उपरान्त ही बजट की उपलब्धता के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा स्वीकृत होने पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा, व ठेके के मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। तभी ठेका स्वीकृत माना जायेगा।
- लीसा भरे टिनो का ढुलान प्रत्येक दशा में दिनांक 31.10.2024 तक पूर्ण रूप से समाप्त करना अनिवार्य होगा।
- लीसे का समयान्तर्गत ढुलान न करने पर जमानत जब्त कर ठेकेदार को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त टैक्स टेण्डरदाता वहन करेगा, सरकारी सामान के सम्बन्ध में विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा।
- निविदा बिना शर्त की होनी चाहिए शर्त सहित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- लीसा ढुलान के उपरान्त पहचान सूचना लीसा भण्डार अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दी गई ही मान्य होगी, यदि उसमें किसी प्रकार की गोड-छेक/कटिंग होगी तो उसके लिए विभाग भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा।
- ट्रान्सपोर्ट में टिनो की क्षति का पूर्ण उत्तरदायित्व लीसा ढुलानी ठेकेदार का होगा, क्षति हुए लीसे की कीमत बाजार मूल्य की दर से लीसा ढुलान ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
- वर्षा आदि के कारण सड़क बन्द होने पर विभाग किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- डिपो में उपरोक्त लीसे की मात्रा घट-बढ़ सकती है, वास्तविक मात्रा लीसा आमद के अनुसार होगी।
- लीसा ठेकेदार को आयकर एवं जी0एस0टी स्टाम्प ड्यूटी आदि का नियमानुसार भुगतान करना होगा।
- टेण्डर फार्म प्रभागीय कार्यालय पुरोला से किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 27.10.2023 को पूर्वाह्न से दिनांक 16.11.2023 के अपराह्न 1:00 बजे तक रू०-500/- फार्म एवं उस पर 18% जी0एस0टी0 कर नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

1. T. or 02  
उक्त निविदा  
को विभागीय  
वेबसाईट  
पर

C.O.F.R 30.10.2023

